



REGIONAL OFFICE (JAIPUR-SOUTH)
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
8/263 MALVIYA NAGAR, NEAR JAWAHAR CIRCLE
HOUSING BOARD OFFICE, JAIPUR

Website - www.environment.rajasthan.gov.in

Email Id - ro.jaipursouth@gmail.com Phone - 0141-4068311

No. RPCB/ROJP/S/legal-42/3623

Date: 19.01.2024

To,
The Registrar,
Hon'ble NGT,
Central Zone Bench,
Bhopal.

Subject : progress of the Joint committee constituted by Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal order dated 08.11.2023 in matter of OA No.166//2023 (CZ) "Deepak Kumar&Ors. Vs. State of Rajasthan &Ors.

Reference : Hon'ble NGT order dated 08.11.2023.

Sir,

With reference to above subject matter, it is submitted that the Hon'ble Tribunal by order dated 08.11.2023 has directed to joint committee to submit factual and action taken report by e-mail on ngtczbbho-mp@gov.in

In compliance to directions passed by the Hon'ble Tribunal, the site has been visited by joint committee on date 18-01-2024. Factual and action taken report is under preparation by committee as well as information is also sought from mining department. It is humbly requested to grant additional 15 days time for report preparation and submission of final report.

Besides above it is also submitted that same kind of matter is filed by same applicant sh. Deepak kumar before hon'ble High Court, Bench JAIPUR (copy of DBCWP is enclosed and marked as Annex-A)

Yours sincerely,

Encl. As above.


Arvind Kumar Agarwal
(Regional Officer)

AA G
8/11/23

OTC mines

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

D.B. CIVIL WRIT PETITION (PIL) NO. _____/2023

Deepak Kumar Jangid

V/s

State of Rajasthan & Ors

INDEX

S.NO. PARTICULARS	PAGE NO.
1- Memo of the PIL (Writ petition)	
2- Affidavit in support of PIL (writ petition)	1-14 15
Documents :	
Annex.1: A photocopy of the resident proof Aadhar Card	16-
Annex.2: A photocopy of the PAN Card	17
Annex.3: The photocopy of the Jamabandi	18
Annex.4: The newspapers cutting off illegal mining and blasting activities upon land	19-21
Annex.5: Original Photographs of illegal mining, and blasting activities upon land	22-25
Annex.6: The photocopy of the letter dated 27.04.2023	26-28
Annex.7: The photocopy of the said letters (representation)	29-32
Annex.8: The photocopy of the said Complaint	33 - 38
5- Affidavit in support of documents.	39

Sanjay Dharati
Counsel for the petitioner

AC-IV
om/8.11.23

*Deepak
Jangid*

1367
8-11-23

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

D.B. CIVIL WRIT PETITION (PIL) NO. _____/2023

Deepak Kumar Jangid

V/s

State of Rajasthan & Ors

SYNOPSIS

- That the present petition under Article 226 of the Constitution of India is being filed by way of Public Interest Litigation for the conservation and protection of natural hill sand prohibiting the illegal mining excavation around the hill which is situated in Khasra No. 241 and 242 which are recorded in the revenue record as Gair mumkin Pahad and pasture land situated at Village Ghata, Ptwar Bainada, Tehsil Bassi District Jaipur and protection of the hills in the village area.
- That without the mining leases allotted to any person the blasting works are going there. The mining Mafia started mining, excavation, and blasting at a very high rate and thereafter this news publish in newspapers and villagers came to know about the whole illegal mining process.
- That is soon after this, the villagers and farmers started worrying about illegal blasting on that Pahad and the villagers started making representations before authorities about the illegal mining and blasting activities going on over that area of the hill i.e.
- That the Petitioner wrote a letter to the Authority of the State and Directorate General of Mines Safety wherein, it was stated that several complaints were already made regarding the unlawful mining activities being conducted near the Ghata village. It was requested in the aforesaid letter to issue directions for stopping the mining activities as the same are damaging the ecosystem of the hill which is the lifeline of the village.

Hence this PIL petition.

COUNSEL FOR THE PETITIONER

Deepak Jangid

Saijay Bhargava

①

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

D.B. CIVIL WRIT PETITION (PIL) NO. _____/2023

Deepak Kumar Jangid Son of Shri Mohan Lal Jangid,
Aged about 31 years, Resident of Village Ghata and
Post Bainada, Tehsil Bassi, District Jaipur,
Rajasthan.

..... Petitioner

VERSUS

1. The State of Rajasthan through Chief Secretary,
Government of Rajasthan, Government
Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
2. ✓ The State of Rajasthan through Principal
Secretary, Mines Department, Government of
Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
3. The State of Rajasthan through its Secretary,
Department of Forest, Environment and Climate
Change, Secretariat, Janpath, C-Scheme, Jaipur,
Rajasthan.
4. The District Collector, District Jaipur,
Rajasthan.
5. The Sub Divisional Officer, Tehsil- Bassi,
District Jaipur, Rajasthan.
6. The Commissioner of Police, Jaipur,
Metropolitan, Jaipur, Rajasthan.
7. The Assistance Commissioner of Police, Bassi,
Jaipur, Rajasthan.
8. The Station House Officer, Police Station
Kanota, Jaipur (East).

.....RESPONDENTS

D.B. CIVIL WRIT PETITION (PIL) UNDER ARTICLE 226 OF
THE CONSTITUTION OF INDIA READ WITH RULE 385-A TO
RULE 385-R OF CHAPTER XXII-A OF THE RULES OF THE
HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN (AMENDMENT)

Deepak Jangid

(2)

RULES, 2010 FOR ISSUING APPROPRIATE
WRIT/ORDER/DIRECTION;

AND

IN THE MATTER OF ARTICLES 14, 21, 48A, 51-A (G), (I)
OF THE CONSTITUTION OF INDIA;

AND

IN THE MATTER OF RAJASTHAN MINOR MINERAL CONCESSION
RULES, 2017;

AND

IN THE MATTER OF ENVIRONMENT OF PROTECTION ACT,
1986;

AND

IN THE MATTER OF CONSERVATION AND PROTECTION OF
NATURAL HILLS AND THE MATTER OF BAN/REMOVING THE
ILLEGAL MINING (THROUGH ILLEGAL BLASTING) OVER THE
KHASRA NO.241 AND 242 GER MUMKIN PAHAD WHICH IS
SITUATED AT GRAM GHATA, PATWAR HALKA BAINADA, TEHSIL
BASSI, DISTRICT JAIPUR (RAJASTHAN) BY THE MINING
MAFIYA AND LAND GRABBERS /ANTI SOCIAL ELEMENTS.

To

The Hon'ble the Chief Justice and his Companion
Judges of the Rajasthan High Court Jaipur Bench,
Jaipur.

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR:

The humble petitioner most respectfully begs to
submit this Writ Petition as under:

**1. Particulars of the cause/order against which
the petition is made:**

That the present petition under Article 226
of the Constitution of India is being filed by
way of Public Interest Litigation for the
conservation and protection of natural hill
sand prohibiting the illegal mining excavation
around the hill which is situated in Khasra No.
241 and 242 which are recorded in the revenue

Deepak Jangid

record as Gair mumkin Pahad and pasture land situated at Village Ghata, Ptwar Bainada, Tehsil Bassi District Jaipur and protection of the hills in the village area.

2. Particulars of the Petitioner:

- a) That the petitioner is a Citizen of India and residing at Village Ghata, and Post Bainada, Tehsil-Bassi, District Jaipur. Being a citizen, a duty has been cast under Article 51A of the Constitution of India to protect and improve the natural environment including forests, hills, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. Therefore he is entitled to invoke the extra jurisdiction of the Hon'ble High Court under Article 226 of the Constitution of India. The petitioner is also duty bound to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions under Article 51-A of the Constitution of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures and also to safeguard public property and to abjure violence.
- b) That the petitioner is the resident of Village and Post Ghata, and Post Bainada Tehsil Bassi, District Jaipur, Rajasthan. A photocopy of the resident proof Aadhar Card is enclosed and marked as **Annexure- 1**.
- c) That the petitioner is an income taxpayer and has Permanent Account. A photocopy of the PAN Card is enclosed and marked as **Annexure- 2**.
- d) That the petitioner is not or has not been involved in any other civil, revenue, or criminal litigation in any capacity before any court or tribunal.

Deepak Jangid

3. Declaration and undertaking of the petitioner:

- a) That the present writ petition is being filed by the petitioner by way of Public Interest Litigation for the protection and conservation of the hill in the village Ghata which is to protect the natural ecology of the area in the interest of the public at large. The petitioner does not have any personal interest in the matter.
- b) That the entire litigation cost including the advocate's fees and other charges are being borne by the petitioner.
- c) That research has been conducted in the matter and raised through the public interest litigation and all the relevant material in respect of such research are annexed with the petition.
- d) That to the best of the petitioner's knowledge and research, the issue raised by the petitioner for the protection of the hill was neither raised nor decided.
- e) That the petitioner has understood that in the course of hearing of this writ petition, the court may require any security to be furnished towards costs or any other charges and the petitioner shall comply with such requirements.

4. Facts in brief constituting the cause:

1. That carrying out the illegal mining and blasting operation over the aforesaid hill is causing huge damage to the natural ecosystem of the aforesaid area.
2. That the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 1132 of 2011 titled 'Jagpal Singh & Ors. V/s State of Punjab & Ors.' vide its order dated 28.01.2011 has

Deepak Singh

(B)

issued a direction to stop illegal activity on ger mumkin land,

3. That the State Pollution Control Board, Jaipur Rajasthan vide its circular issued guidelines with regard to pollution control. As per the circular, the stone crusher should not be installed in the residential area diameter of 1500 m of the village.
4. That in order to comply with the above-said direction issued by the Hon'ble Supreme Court of India, the Government of Rajasthan issued a circular dated 25.04.2011 wherein mining activities were banned with immediate effect on the Ger-mumkin Pahad Land (Pastureland/Grassland).
5. That the illegal mining falls in Khasara No. 241, which is recorded as ger mumkin Pahad in the Jamabandi. The photocopy of the Jamabandi are collectively enclosed and marked as **Annexure- 3**.
6. That without the mining leases allotted to any person the blasting works are going there. The mining Mafia started mining, excavation, and blasting at a very high rate and thereafter this news publish in newspapers and villagers came to know about the whole illegal mining process. The newspapers cutting off illegal mining and blasting activities upon land are enclosed herewith and marked as **Annexure- 4**.
7. That is soon after this, the villagers and farmers started worrying about illegal blasting on that Pahad and the villagers

Deepak Jangid

started making representations before authorities about the illegal mining and blasting activities going on over that area of the hill i.e. Original Photographs of illegal mining, and blasting activities upon land are enclosed herewith and marked as **Annexure- 5**.

8. That the SDO Bassi also refers a letter dated 27.04.2023 to the mining engineer Jaipur for stopping illegal mining and necessary action on that ger-mumkin Pahad land. The photocopy of the letter dated 27.04.2023 is enclosed and marked as **Annexure- 6**.
9. That the Hon'ble High Court in SB Civil Writ Petition No. 11153/2011 titled as Suo Moto v. State of Rajasthan vide its order dated 29.05.2012 directed to reinstate the status of hills, river, drainage, dam, pond, and water body according to the Rajasthan Tenancy Act, 1955 considering it contrary to section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in which restricted land is mentioned as hill, river, drainage, dam, pond and water.
10. That the Petitioner wrote a letter to the Authority of the State and Directorate General of Mines Safety wherein, it was stated that several complaints were already made regarding the unlawful mining activities being conducted near the Ghata village. It was requested in the aforesaid letter to issue directions for stopping the mining activities as the same are damaging the ecosystem of the hill which is the

Deepak Singh

lifeline of the village. The photocopy of the said letters (representation) is collectively enclosed and marked as **Annexure- 7.**

11. That it is submitted that to date persistent mining and blasting activities are still being continued on the Pahad. The heavy blasting and usage of heavy machinery like JCB machines and dumper shave weakened the houses of the villagers and are ultimately destroying the ecology of the whole vicinity. The unsafe gair mumkin pahad constitutes a hazard to human life and property in the downstream areas. Accordingly, a complaint was filed before the police Officer. It is pertinent to mention here that in the complaint it was specifically mentioned that the catchment unit situated near mining gets affected by the blast performed during mining. The photocopy of the said Complaint is collectively enclosed and marked as **Annexure- 8.**

12. That the mining department is not allotting the lease on that hills/pahad. As a result, the natural environment and ecology of the villagers are being destroyed. The hills are the lifeline of the villagers and livestock. Nobody thinks about the hardship of the villagers. The mining mafia are so powerful, no one can dare to raise their voice against them due to the involvement of politicians, bureaucrats, police, and muscle power they also implicate the villagers in criminal cases with the help of police.

Deepak Singh

8

5. SOURCE OF INFORMATION

That the sources of information of the facts pleaded in this public interest litigation are personal knowledge of the petitioner.

6. NATURE AND EXTENT OF INJURY CAUSED

That is the house of the villagers and demolished and weakened by the use of heavy blasting and machinery for illegal mining activities by the mining mafia and the natural ecology of the land will be completely ruined. The petitioner being a citizen is duty bound to protect the hill under Article 51-A of the Constitution of India, therefore, he raised the issue for the protection and conservation of the hill in village Bainada to protect the natural ecology of the area in the interest of public at large.

7. ANY REPRESENTATION ETC. MADE

Yes, the villagers have raised the issue of banning the mining activities on the hill which is life line of the villages. On the basis of the representation, the administration has also recommended for closure of the mines.

8. GROUNDS

A. **Because** as per the policy which was promulgated by the Government of Rajasthan vide circular dated 25.04.2011 in compliance of Order dated 28.01.2011 delivered by the Hon'ble Supreme Court in 'Jagpal Singh Case' that the mining activity shall not be permitted on the pastureland. Thus, the illegal mining by the Mining mafia's in violation of the circular dated 25.04.2011. It is pertinent to note that in the circular dated 25.04.2011, it was specifically mentioned

Deepak
Jangid

⑨

that there should not be any commercial use of the catchment area of Pahad land.

- B. **Because** the respondents have failed to protect and conserve the ecology of the hill by way of allowing illegal mining activities on the hill. The village Ghata hill serves the ecology of the entire area as well as acts as a balance of eco-system.
- C. **Because** the village Ghata hill provides unique habitation, supports biodiversity, and vegetation, and provides clean air for breathing. Performing mining activities in the region will eradicate.
- D. **Because** the village Ghata hill is freely used by the residents of the village for grazing and feeding their livestock and other domestic and wild animals. If the destruction of the hill is allowed, it will infringe on the basic rights of the residents in the village of Gaurir and also change the nature of the hill.
- E. **Because** if the mining activity is allowed to go ahead, there may be irreparable damage to the environment of the village. The mining operation is hazardous in nature. It impairs the ecology and people's right to natural - resources. The entire process of setting up and functioning of a mining operation requires utmost good faith and honesty on the part of the intending entrepreneur. For carrying on any illegal mining activity close to a township, which has a tendency to degrade the environment and is likely to affect air, water, and soil and impair the quality of life of inhabitants of the area.

Deepak
Jungit

- F. Because the protection and improvement of the human environment is a major issue that affects the well-being of people and economic development throughout the world, it is the urgent desire of the people of the whole world and the duty of all Governments.
- G. The natural sources of air, water, and soil cannot be utilized if the utilization results in irreversible damage to the environment. There has been accelerated degradation of the environment primarily on account of a lack of effective enforcement of environmental laws and non-compliance with the statutory norms. It has been repeatedly held by the Supreme Court that the right to live is a fundamental right under Article 21 of the constitution and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life.
- H. That the legal system based on English common law includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence. The State is the trustee of all natural resources which are by nature meant for public use and enjoyment. The public at large is the beneficiary of the seashore, running waters, air, forests, and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources.
- I. That the state as a trustee is under legal duty to protect the natural resources meant for public use cannot be converted into

Deepak
Sanghi

private ownership. Thus, the public trust doctrine is a part of the law of the land.

J. That a clean environment is a guaranteed fundamental right. Therefore, under Articles 48A and 51A, the fundamental duty of every citizen is to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and pahad. Therefore, the high power authority be setup to ban illegal mining in the village Pahad area.

K. That the Hon'ble High Court has also stopped the mining activities of surrounding Jaipur City on 14.08.2003 in D.B. Civil Writ petition No. 4733/2003 titled Suo Moto V/s State of Rajasthan and others which is reproduces as under:

"No mining operation shall be carried out in the Aravali Hills surrounding the city of Jaipur. The area where mining has taken place shall be restored and trees and vegetation shall be grown". In compliance with the aforesaid order, the state Government stopped the mining operation up to the distance of 12 KM from the 0 points of Jaipur city which is Sanganeri Gate. It is also pertinent to mention that the state Government has also stopped the mining activities in the Brij Chorasi Kos Parikarma area in Bharatpur district. Such a ban should also be imposed in the hill area of the village Ghata Tehsil Bassi, District Jaipur.

L. That other ground will be taken at the time of hearing of the writ petition.

9. **DELAY IF ANY IN FILING BY THE PETITIONERS AND EXPLANATION THEREFOR**

Deepak Jangid

That there is no delay in filing of the writ petition. The petitioner has regularly been raising their voice and submitted representations to the respondents from time to time for cancellation of the leases and protection of the village Ghata hill but all in vain.

10. PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that the Writ Petition (PIL) may kindly be allowed and grant the following relief:

- i) To issue directions to the respondents to ban the entire mining activities and conserve the natural hills situated at village Ghata, Post Bainada Tehsil Bassi District Jaipur.
- ii) To take action against the illegal mafia they are doing heavy blasting and mining the pasture land and the natural hills situated at village Ghata Tehsil Bassi District Jaipur in the public interest.
- iii) To issue directions to the respondents to ban the illegal mining activities in the village's hills of the entire Rajasthan and also conserve and protect the natural hills situated in the villages of the Rajasthan which are the lifeline of the villagers and livestock.
- iv) To appoint an expert committee for the scientific, environmental, and geographical study of the villages throughout Rajasthan prior to the granting of mining leases in the villages and take action against illegal mining by the mafia.
- v) To issue directions to the respondents to protect and conserve the hills of the villages which are the lifeline of the

Deepak Jangid

(P3)

villagers and livestock in the public interest.

Any other appropriate order or direction that the Hon'ble Court may deem just and proper in the facts and circumstances of the case may also be passed in favor of the petitioner in the interest of justice, equity and good conscience.

11. INTERIM PRAYER

It is therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may most graciously be pleased to allow the stay application and directions be issued to the respondents to ban the illegal mining activities and the excavation immediately and to protect the natural hill in village Ghata, Patwar Bainada, Tehsil Bassi, which is the life line of the surrounding villages and also protect and conserve the hills of the villages in throughout Rajasthan. If the stay is not granted the purpose of filing of the PIL will be futile and the entire natural beauty of the village will be diminished.

12. CAVEAT:

That no notice has been received of lodging a caveat by the opposite party.

DATE:

PLACE:

HUMBLE PETITIONER

THROUGH COUNSELS

Sanjay Bharati
(SANJAY BHARATI)

ADVOCATE

E.no. R/1396/2012

Mobile No. 9413966352

Email- sanjaybharti.adv@gmail.com

NOTES:

1. No vires of the act and rules have been challenged by the petitioner.
2. No such writ petition (PIL) has been filed previously prior to this by the petitioner.
3. P.F. Notices and extra sets will be submitted within time.
4. Pie papers are not available hence typed on stout papers.
5. This has been typed by my private steno who is not a staff member of this Hon'ble Court.

COUNSEL FOR THE PETITIONER

Saiyag Bhattach

Deepak Jangid

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

D.B. CIVIL WRIT PETITION (PIL) NO. _____/2023

Deepak Kumar Jangid

V/s

State of Rajasthan & Ors

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF WRIT PETITION

I, Deepak Kumar Jangid Son of Shri Mohan Lal Jangid, Aged about 31 years, Resident of Village Ghata and Post Bainada, Tehsil Bassi, District Jaipur, Rajasthan, do hereby take oath and state as under:-

1. That I am the petitioner in this case and am well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit.
2. That the annexed writ petition has been drafted by my counsel under my instruction and the same has been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood.
3. That the contents of the annexed writ petition are true and correct to the best of my personal knowledge and legal advice given to me by my counsel.

DATE:

PLACE:

Deepak Jangid

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby take oath and verify that the contents of para no. 1 to 3 of the above noted affidavit are true and correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

DATE:

PLACE:

Deepak Jangid

DEPONENT

Sanjay Bhasati

16




DEEPAK KUMAR JANGID
 DEEPAK KUMAR JANGID
 जन्म तिथि/DOB: 10/10/1992
 पुरुष/ MALE

2727 8448 6034
 VID : 9161 2859 7461 7048

मेरा आधार, मेरी पहचान




S/O: मोहन लाल जंगिद, खाती बस्ती, घाटा, जयपुर,
 राजस्थान - 303301

Address:
 S/O: MOHAN LAL JANGID, KHATI BASTI,
 Ghata, Jaipur,
 Rajasthan - 303301

2727 8448 6034
 VID : 9161 2859 7461 7048

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

म का नाम :- धाटा
टिवार हल्का :- बैनाडा
रू.अभि.नि.क्षेत्र :- बस्सी
तहसील :- बस्सी
जिला :- जयपुर
काश्तकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075 - 2078
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

खुसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई संदत्त लगान के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
121/747	0.0632 गै.मु.रास्ता	0.0632	स्वीकृत नामांतरकरण : 6 12/11/2021 शुद्धिपत्र	
122	0.0759 गै.मु.रास्ता	0.0759	स्वीकृत नामांतरकरण : 1272 12/01/2021 न्याया. आदेश	
132	0.6575 गै.मु.रास्ता	0.6575	स्वीकृत नामांतरकरण : 1342 12/04/2022 आवंटन	
152	0.0759 गै.मु.तलाई	0.0759	स्वीकृत नामांतरकरण : 1351 05/05/2022 न्याया. आदेश	
158/1	0.0253 गै.मु.रास्ता	0.0253	स्वीकृत नामांतरकरण : 1359 11/07/2022 सर्म्पण	
16	0.5564 गै.मु.रास्ता	0.5564	स्वीकृत नामांतरकरण : 1369 29/11/2022 न्याया. आदेश	
19	0.0759 गै.मु.रास्ता	0.0759	स्वीकृत नामांतरकरण : 1386 24/02/2023 आवंटन	
217/722	0.2276 गै.मु.चाह	0.2276	स्वीकृत नामांतरकरण : 1437 09/10/2023 सर्म्पण	
225	0.2908 गै.मु.रास्ता	0.2908	स्वीकृत नामांतरकरण : 1438 13/10/2023 सर्म्पण	
237	0.0885 गै.मु.रास्ता	0.0885		
241	38.086 गै.मु.पहाड़	38.086		
	7	7		
247/714	0.0632 गै.मु.रास्ता	0.0632		
257	0.0506 गै.मु.चाह	0.0506		
259/749	0.0126 गै.मु.चाह	0.0126		
264	0.0379 गै.मु.चाह	0.0379		
28	0.1770 गै.मु.रास्ता	0.1770		
281	0.7461 गै.मु.रास्ता	0.7461		
282	0.4046 गै.मु.रास्ता	0.4046		
302/1	0.5184 बंजड 1	0.5184		
31	0.1391 गै.मु.रास्ता	0.1391		
320	0.3920 गै.मु.रास्ता	0.3920		
328	1.6439 गै.मु.रास्ता	1.6439		
337	0.1770 गै.मु.रास्ता	0.1770		
343	0.3794 गै.मु.रास्ता	0.3794		
346	0.3920 गै.मु.श्मशान	0.3920		
347/1	3.9705 गै.मु.तलाई	3.9705		

यू.एस.एन - 917733602114382

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता -

RJJP199018001260@RAJASTHAN.GOV.IN

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 16/Oct/2023 04:15:00 PM

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=917733602114382>

पद - तहसीलदार



116

20

So

जय

बैनाड़ में ट्रॉली में पत्थर भरते समय 100 फीट की ऊंचाई से चट्टानें गिरी, 2 मजदूरों की मौत




मृतक राकेश।



रामकरण।

भास्कर न्यूज़ | जयपुर/
बांसखोह/कानोटा



बस्सी इलाके के घाटा बैनाड़ चेजा पत्थर की खान में शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरते समय चट्टान गिरने से मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना वीभत्स था कि ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। ट्रॉली चट्टान के नीचे दब गई। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे अन्य मजदूरों ने दोनों को दो घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। रामकरण (40) पुत्र कल्याण मीना निवासी घाटी व राकेश (35) पुत्र रामनिवास मीना निवासी मानोता शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे घाटा स्थित पहाड़ी में ट्रैक्टर में पत्थर भर रहे थे। उसी दौरान करीब 100 फीट की उंचाई से बड़ी- बड़ी चट्टानें भरभरा कर नीचे गिर पड़ीं। एक साथ कई चट्टानें गिरने से उसके नीचे दबने से रामकरण व राकेश की दर्दनाक मौत हो गई।

मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण

घटना के बाद ग्रामीणों ने आश्रितों को मुआवजा राशि दिलवाने की मांग को लेकर करीब एक बजे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा, एसटी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीना, एसटी मोर्चा के नारायण मीना मौके पर पहुंचे और आश्रितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा व एक-एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। बाद में खान संचालित करने वाले संघ के सदस्यों ने मृतकों के परिजनों को 12.50-12.50 लाख रुपए मुआवजा व अन्य सरकारी सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद करीब 5:30 बजे धरना समाप्त किया गया।
परिवार में एक मात्र ही कमाने वाला था राकेश : मृतक राकेश के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। राकेश एक मात्र ही परिवार में कमाने वाला था। परिवार में राकेश के 3 अविवाहित भाई हैं। मृतक के 9 साल का पुत्र अमन व 7 साल की पुत्री अन्नू है। रामकरण माता-पिता की झंझटौती संतान है। परिवार की भी माली हालत कमजोर है। मृतक के 15 साल का पुत्र और 13 साल की बेटा दिय्या है। पिता दमे की बीमारी से पीड़ित हैं।

जेसीबी से शवों को निकाला

पत्थर गिरने की आवाज सुनकर पास ही की खानों में काम करने वाले मजदूर दौड़कर घटनास्थल पहुंचे। पत्थरों के नीचे रामकरण व राकेश को दबा हुआ देख जेसीबी व एलएनटी मशीन मंगवाई गईं। चार जेसीबी व दो एलएनटी की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को शवों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने भी शवों को बाहर निकालने में मदद की। मामले की सूचना पर बस्सी-एससीपी फूलचंद मीणा ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया।

एसडीएम खान विभाग व पुलिस को हरड़ी व घाटा गांव में हो रहे अवैध खनन को रोकने और खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। खान विभाग, पुलिस के साथ मिलकर अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। - शिवचरण शर्मा, एसडीएम, बस्सी

31

कानोला थामे के घाटा गांव की पहाड़ी की घटना

मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत 3 घंटे में निकाले शव

एलामेंटा जेजीवी से हलका पारवा



जयपुर

जयपुर, कानोला थामे पंचायत घाटा की पहाड़ी पर कृ. बी.एम. मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में ट्रेक्टर-ट्रैक्टर के धक्के से शव निकाले गए और शव अस्पताल में मिले। कानोला थामे के अलावा सुकनार, जयपुर के मजदूरों की मौत हो गई। अन्य मजदूरों से मलबा गिरने से घायल हुए मजदूरों को अस्पताल में भेजा गया।






जयपुर, कानोला थामे पंचायत घाटा की पहाड़ी पर कृ. बी.एम. मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में ट्रेक्टर-ट्रेक्टर के धक्के से शव निकाले गए और शव अस्पताल में मिले। कानोला थामे के अलावा सुकनार, जयपुर के मजदूरों की मौत हो गई। अन्य मजदूरों से मलबा गिरने से घायल हुए मजदूरों को अस्पताल में भेजा गया।


29



24



85



Mining Engineer
Jalpaiguri, kindly
do the
necessary action

86

Am-6

27/04/2023

सेवा में

माननीय उपखंड अधिकारी मंडीय,
कार्यपालक दण्डनायक मंडीय,
बस्ती, जिला जयपुर।

विषय :- ग्राम घाटा स्थित गे. गु. पहाड में अवैध रूप से खनन करने एवं
पहाड पर स्थित शंकर भगवान एवं श्रीराम मंदिर में क्लॉस्टिंग
द्वारा होने से उक्त अवैध खनन को तत्काल बन्द करवाने के सम्बन्ध
में ग्राह्मास्थियों की तरफ से जापन।

महोदयजी,

उक्त तन्त्र में निवेदन है कि हमारे ग्राम घाटा स्थित आगरी
खोरा 241 गे. गु. पहाड स्थित है जिस पर काफी पुराना प्राचीन शंकर भगवान
व श्रीराम मन्दिर बना हुआ है जिसकी तलहटी में खनन माफियाओं के सरगना
गोपाल तूंगड जिनासी कनाडा खोरा अवैध रूप से पत्थरों पहाड में क्लॉस्टिंग
कर हजारों टन पत्थरों का खनन कर अवैध रूप से सप्लाई करता है एवं उक्त
खनन के पहाड पर उपर भगवान शंकर, एवं श्रीराम मन्दिर जो काफी प्राचीन एवं
पुराना बना हुआ है जिसमें काफी संख्या में हिन्दू श्रद्धालु लोग आते जाते रहते
हैं एवं हम सभी ग्राह्मास्थियों द्वारा उक्त मंदिर की सेवा पूजा के लिये एक पुजारी
श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री राधेश्वर प्रसाद शर्मा को सेवा पूजा के लिये मंदिर
पुजारी के रूप में सभी ग्राह्मास्थियों की तरफ से सहमति से रख रखा है एवं वह
उक्त मन्दिरों की अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं लगन से सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं
एवं हम सभी लोग उनकी सेवा से तन्कूट भी हैं।

यह है कि उक्त मंदिर के नीचे पहाड पर उक्त खनन माफिया गोपाल
तूंगड द्वारा अवैध खनन करने से मंदिर पुजारी द्वारा मत्ता करने पर उल्टा वह
व्यक्ति उक्त पुजारी को जान से मारने एवं उठवा देने की धमकिया देता है एवं
खनन कार्य निरन्तर चला रखा है जिससे हमें भय है कि उक्त खनन चालू रखने से
उक्त प्राचीन मन्दिरों को नुकसान हो सकता है एवं मंदिर में दरारे भी पड गई
हैं।

हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि उक्त अवैध खनन कार्य को तत्काल
रुकवाया जाकर मंदिर पुजारी की उक्त माफिया से सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाये
जिससे वह निश्चिन्त होकर मंदिर की सेवा पूजा का कार्य कर सकें।

दिनांक : 27/4/2023

पुजारी

76777764

मंडीय,

मुम्मासी ग्राम घाटा

27/04/2023

(पुजारी)

(5)

नानका

01407

9928354967

अशिका

Jai Shree

9183198660

Amil

रामदयाल

9928354967

रामदयाल 8696070674

रामदयाल

रामु दयाल गुर्जर

विशाल सूरज

रामदीप

राजेश

शेखर मीना

Kunjay Bhatia

(11/11/21)

Amil

Amil



Kanwar Rany

9914931446

रामु भाद्र A.H

श्री 10 राद

मीना

अर्जुन

मधुमी नारायण

गणेश वाड

मीना

श्रीधर मीना

गोपाल

नरसी



दाफा

88

भाग-1 शिविर प्रभासी द्वारा भरा जाए

आवेदन क्र.सं.	दिनांक	नाम संबंधित विभाग	आवेदन पत्र को प्रत्यक्ष (टिक करें ✓)		कारणों (टिक करें ✓)		
			व्यक्तिगत सेवा/शिक्षण	शिक्षण संबंधी मांग	अन्य	Rejected निस्तारित	Replaced अपूर्णता
11	21/2/2023	सुबनर विभागा					
आवेदक का नाम	राजेश्वरराज शर्मा		योगादान नंबर 2929418232				
ग्राम	खारवा		ग्राम पंचायत खारवा				
			जिला-				

श्री राजेश्वरराज शर्मा का निवेदन

महोदयजी,

उक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि इसी ग्राम खारवा निवासी श्री राजेश्वरराज शर्मा के द्वारा प्रेषित किया गया निवेदन हेतु आपका कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

(20) Anur

सेवामें

श्रीमान मुख्यसचिव महोदय,

राजस्थान सरकार।

यः- अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रोकने बाबत रिपोर्ट दर्ज।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 31 वर्ष, जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा, पो. बैनाडा, तह. बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे गांव घाटा-बैनाडा में अरावली पर्वत माला की पहाडिया स्थित है उक्त पहाडियो पर हिन्दू धर्म के कई देवी-देवताओ व भगवान के सैकडो वर्ष पुराने मन्दिर बने हुए है जो गांव वालो व आम श्रदालुओं के आस्था का केन्द्र है। जहा रोज सैकडो गांव वाले व श्रदालु भगवान के दर्शन हेतु आते है और भगवान की सेवा पूजा करते है उक्त पहाडियो में ही भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर खसरा नम्बर 241 व 242 गै.मु. पहाड पर स्थित है उक्त मन्दिर की सेवा पूजा, सार संभाल व देखरेख का काम गांव वालो ने मूझे संभला रखा है जहा प्रतिदिन मेरे व मेरे परिवारवालो के द्वारा भगवान शिव व भगवान राम की सेवा पूजा व देखभाल की जाती है। तथा उक्त मन्दिर व पहाड के पास एक बस्ती बसी हुई है जिसमें लगभग 150-200 लोग निवास करते है। उक्त पहाडिया अरावली पर्वत माला की श्रेणी में आने के कारण उक्त पहाडियो पर होने वाले अवैध ब्लास्टिंग, खनन व पत्थर चोरी को रोकने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन. जी.टी.) न्यायालय भोपाल ने प्रकृति व अरावली पर्वत माला की सुरक्षा व बचाव के लिये सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश पारित कर रखे है। यह कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) न्यायालय भोपाल के द्वारा सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश के बावजूद मेरे गांव मे रहने वाले रामकिशन गुर्जर पुत्र तेजाराम गुर्जर, रमेश गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी घाटा व रमेश पंचोली पुत्र किशोर पंचोली निवासी दयारामपुरा के द्वारा एक गिरोह बनाकर उक्त डियो पर खसरा न. 241 व 242 में स्थित भगवान शिव व भगवान राम के मन्दिर की तलहती में अवैध रूप से ब्लास्टिंग खनन करके पहाडियो से पत्थर चुराकर अवैध रूप से बेचकर स्वयं को लाभ व प्रकृति और सरकार को हानिकारित कर रहे है तथा सरकार की सम्पती को नुकसान कारित कर रहे है। इन लोगो के द्वारा दिन-रात एल.एन.टी., जे.सी.बी. व ट्रकों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है इन लोगो के द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग के कारण पहाडी पर स्थित सैकडो वर्षो पुराने भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर के कुण्ड, चबुतरे व मन्दिर की दिवारो में दरारे आ गई है जिसकी सिकायत मेरे द्वारा दिनांक 09.2023 को शाम के 5 बजे उक्त लोगो को करने पर रमेश गुर्जर ने मेरे साथ माले-गलोच व हाथापाई करते हुए मारपीट की और मुझे ऐलानिया धमकिया देते हुये कहा की अगर हमारे काम के बीच आया तो हाथ-पेर तोड कर जान से मारकर इन पहाडियो में फेक दूंगा। उक्त लोगो के द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग खनन के कारण मन्दिर के निचे से पहाड खोखले हो गये तथा गहरे-गहरे गड्डे हो गये है। जब ये लोग अवैध ब्लास्टिंग करते है जिससे बहुत तेज धमाके के साथ पत्थर उछल कर बस्ती के

Deepak Jangid

30

घरो व मन्दिर मे जाते है जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। ब्लास्टिंग के धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि आस-पास रहने वाले आम जनो को मानसिक झटका होती है तथा अवैध खनन के कारण गांव वाले व श्रदालु मन्दिर में जाकर भगवान की सेवा पूजा करने में परेशानी हो रही है तथा मन्दिर में सेवा पूजा के लिए आये हुये लोगों को भी जान माल का खतरा बना रहता है। जिससे गांव वालो व श्रदालुओ की धार्मिक भावनाओ व अधिकारो का हनन हो रहा है। ग्राम घाटा,पो. बैनाडा स्थित अरावली पर्वत माला की पहाडियो मे हो रहे अवैध ब्लास्टिंग व खनन के बारे में मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार सिकायत की जा चुकी है। उक्त सभी व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के है जो इस संबंध में आये दिन मुझे व मेरे परिवारवालो को जान से मारने व देख लेने का धमकिया देते है। मुझे व मेरे परिवारवलो उक्त सभी लोगो से जान माल का खतरा बना हुआ है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवारवालो के साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पुलिस थाना कानोता को आदेशित कर मेरी रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रुकवाकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करे।

Jeepak Kumar


दिनांक:-

प्रार्थी

दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र 31 वर्ष

जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा,पो.बैनाडा,

तह.बस्सी, जिला-जयपुर राजस्थान



सेवामें

श्रीमान निदेशक महोदय,

खान एवं खनिज विभाग राजस्थान।

विषय:- अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रोकने बाबत रिपोर्ट दर्ज।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 31 वर्ष, जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा, पो. बैनाडा, तह. बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान रहने वाला हूँ। मेरे गांव घाटा-बैनाडा में अरावली पर्वत माला की पहाडिया स्थित है उक्त पहाडियो पर हिन्दू धर्म के कई देवी-देवताओ व भगवान के सैकडो वर्ष पुराने मन्दिर बने हुए है जो गांव वालो व आम श्रदालुओं के आस्था का केन्द्र है। जहा रोज सैकडो गांव वाले व श्रदालु भगवान के दर्शन हेतु आते है और भगवान की सेवा पूजा करते है उक्त पहाडियो में ही भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर खसरा नम्बर 241 व 242 गै.मु. पहाड पर स्थित है उक्त मन्दिर की सेवा पूजा, सार संभाल व देखरेख का काम गांव वालो ने मूझे संभला रखा है जहा प्रतिदिन मेरे व मेरे परिवारवालो के द्वारा भगवान शिव व भगवान राम की सेवा पूजा व देखभाल की जाती है। तथा उक्त मन्दिर व पहाड के पास एक बस्ती बसी हुई है जिसमें लगभग 150-200 लोग निवास करते है। उक्त पहाडिया अरावली पर्वत माला की श्रेणी में आने के कारण उक्त पहाडियो पर होने वाली अवैध ब्लास्टिंग, खनन व पत्थर चोरी को रोकने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन. जी.टी.) न्यायालय भोपाल ने प्रकृति व अरावली पर्वत माला की सुरक्षा व बचाव के लिये सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश पारित कर रखे है। यह कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) न्यायालय भोपाल के द्वारा सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश के बावजूद मेरे गांव मे रहने वाले रामकिशन गुर्जर पुत्र तेजाराम गुर्जर, रमेश गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी घाटा व रमेश पंचोली पुत्र किशोर पंचोली निवासी दयारामपुरा के द्वारा एक गिरोह बनाकर उक्त पहाडियो पर खसरा न. 241 व 242 में स्थित भगवान शिव व भगवान राम के मन्दिर की तलहती में अवैध रूप से ब्लास्टिंग खनन करके पहाडियो से पत्थर चुराकर अवैध रूप से बेचकर स्वयं को लाभ व प्रकृति और सरकार को हानिकारित कर रहे है तथा सरकार की सम्पती को नुकसान कारित कर रहे है। इन लोगो के द्वारा दिन-रात एल.एन.टी., जे.सी.बी. व ट्रकों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है इन लोगो के द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग कारण पहाडी पर स्थित सैकडो वर्षो पुराने भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर के कुण्ड, चबुतरे व मन्दिर की दिवारो में दरारे आ गई है जिसकी सिकायत मेरे द्वारा दिनांक 08.09.2023 को शाम के 5 बजे उक्त लोगो को करने पर रमेश गुर्जर ने मेरे साथ गालि-गलोच व हाथापाई करते हुए मारपीट की और मुझे ऐलानिया धमकिया देते हुये कहा की अगर हमारे काम के बीच आया तो हाथ-पेर तोड कर जान से मारकर इन पहाडियो में फेक दूंगा। उक्त लोगो के द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग खनन के कारण मन्दिर के निचे से पहाड खोखले हो गये तथा गहरे-गहरे गड्डे हो गये है। जब ये लोग अवैध ब्लास्टिंग करते है जिससे बहुत तेज धमाके के साथ पत्थर उछल कर बस्ती के

Deepak
Sanghvi

32

घरो व मन्दिरं मे जाते है जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। ब्लास्टिंग के धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि आस-पास रहने वाले आम जनो को मानसिक प्रताडना होती है तथा अवैध खनन के कारण गांव वाले व श्रदालु मन्दिर में जाकर भगवान की सेवा पूजा करने में परेशानी हो रही है तथा मन्दिर में सेवा पूजा के लिए आये हुये लोगों को भी जान माल का खतरा बना रहता है। जिससे गांव वालो व श्रदालुओ की धार्मिक भावनाओ व अधिकारो का हनन हो रहा है। ग्राम घाटा,पो. बैनाडा जिला अरावली पर्वत माला की पहाडियो मे हो रहे अवैध ब्लास्टिंग व खनन के बारे में मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार सिकायत की जा चुकी है। उक्त सभी व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के है जो इस संबंध में आये दिन मुझे व मेरे परिवारवालो को जान से मारने व देख लेने की धमकिया देते है। मुझे व मेरे परिवारवलो उक्त सभी लोगो से जान माल का खतरा बना हुआ है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवारवालो के साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे।


अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पुलिस थाना कानोता को आदेशित कर मेरी रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रुकवाकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करे।

Jeepak Kumar

दिनांक:-

प्रार्थी

दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र 31 वर्ष
जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा,पो.बैनाडा,
तह.बस्सी, जिला-जयपुर राजस्थान



सेवामें

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,

राजस्थान पुलिस राजस्थान,

विषय:- अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रोकने बाबत रिपोर्ट दर्ज।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 31 वर्ष, जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा, पो.बैनाडा, तह.बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे गांव घाटा-बैनाडा में अरावली पर्वत माला की पहाडिया स्थित है उक्त पहाडियो पर हिन्दू धर्म के कई देवी-देवताओ व भगवान के सैकड़ो वर्ष पुराने मन्दिर बने हुए है जो गांव वालो व आम श्रदालुओं के आस्था का केन्द्र है। जहा रोज सैकड़ो गांव वाले व श्रदालु भगवान के दर्शन हेतु आते है और भगवान की सेवा पूजा करते है उक्त पहाडियो में ही भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर खसरा नम्बर 241 व 242 गै.मु. पहाड पर स्थित है उक्त मन्दिर की सेवा पूजा, सार संभाल व देखरेख का काम गांव वालो ने मूझे संभला रखा है जहा प्रतिदिन मेरे व मेरे परिवारवालो के द्वारा भगवान शिव व भगवान राम की सेवा पूजा व देखभाल की जाती है। तथा उक्त मन्दिर व पहाड के पास एक बस्ती बसी हुई है जिसमें लगभग 150-200 लोग निवास करते है।

उपरोक्त पहाडिया अरावली पर्वत माला की श्रेणी में आने के कारण उक्त पहाडियो पर होने वाली अवैध ब्लास्टिंग, खनन व पत्थर चोरी को रोकने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) न्यायालय भोपाल ने प्रकृति व अरावली पर्वत माला की सुरक्षा व बचाव के लिये सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश पारित कर रखे है। यह कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) न्यायालय भोपाल के द्वारा सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश के बावजूद मेरे गांव मे रहने वाले रामकिशन गुर्जर पुत्र तेजाराम गुर्जर, रमेश गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी घाटा व गणेश पंचोली पुत्र किशोर पंचोली निवासी दयारामपुरा के द्वारा एक गिरोह बनाकर उक्त पहाडियो पर खसरा न. 241 व 242 में स्थित भगवान शिव व भगवान राम के मन्दिर की तलहती में अवैध रूप से ब्लास्टिंग खनन करके पहाडियो से पत्थर चुराकर अवैध रूप से बेचकर स्वयं को लाभ व प्रकृति और सरकार को हानिकारित कर रहे है तथा सरकार की सम्पती को नुकसान कारित कर रहे है। इन लोगो के द्वारा दिन-रात एल.एन.टी., जे.सी.बी. व ट्रकों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है इन लोगो के द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग के कारण पहाडी पर स्थित सैकड़ो वर्षो पुराने भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर के कण्ड, चबुतरे व मन्दिर की दिवारो में दरारे आ गई है जिसकी सिकायत मेरे द्वारा दिनांक 09.09.2023 को शाम के 5 बजे उक्त लोगो को करने पर रमेश गुर्जर ने मेरे साथ गालि-गलोच व हाथापाई करते हुए मारपीट की और मुझे ऐलानिया धमकिया देते हुये कहा की अगर हमारे काम के बीच आया तो हाथ-पेर तोड कर जान से मारकर इन पहाडियो में फेक दूंगा। उक्त लोगो के द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग खनन के कारण मन्दिर के निचे से पहाड खोखले हो गये तथा गहरे-गहरे गड्डे हो गये है। जब ये लोग अवैध ब्लास्टिंग करते है जिससे बहुत तेज धमाके के साथ पत्थर उछल कर बस्ती के

Deepak
Jangid

(34)

घरों व मन्दिर में जाते हैं जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। ब्लास्टिंग के धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि आस-पास रहने वाले आम जनो को मानसिक प्रताड़ना होती है तथा अवैध खनन के कारण गांव वाले व श्रदालु मन्दिर में जाकर भगवान की सेवा पूजा करने में परेशानी हो रही है तथा मन्दिर में सेवा पूजा के लिए आये हुये लोगों को भी जान माल का खतरा बना रहता है। जिससे गांव वालो व श्रदालुओ की धार्मिक भावनाओ व अधिकारो का हनन हो रहा है। ग्राम घाटा,पो. बैनाडा स्थित अरावली पर्वत माला की पहाडियो में हो रहे अवैध ब्लास्टिंग व खनन के बारे में मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार सिकायत की जा चुकी है। उक्त सभी व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के हैं जो इस संबंध में आये दिन मुझे व मेरे परिवारवालो को जान से मारने व देख लेने की धमकिया देते हैं। मुझे व मेरे परिवारवालो उक्त सभी लोगो से जान माल का खतरा बना हुआ है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवारवालो के साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पुलिस थाना कानोता को आदेशित कर मेरी रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रुकवाकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करे।

Deepak
Jungid


दिनांक:-

प्रार्थी

दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र 31 वर्ष

जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा,पो.बैनाडा,

तह.बस्सी, जिला-जयपुर राजस्थान



सेवामें

श्रीमान पुलिस उप-अधीक्षक महोदय,

राजस्थान पुलिस जयपुर पूर्व।

विषय:- अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रोकने बाबत रिपोर्ट दर्ज।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 31 वर्ष, जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा, पो. बैनाडा, तह. बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे गांव घाटा-बैनाडा में अरावली पर्वत माला की पहाडिया स्थित है उक्त पहाडियो पर हिन्दू धर्म के कई देवी-देवताओ व भगवान के सैकडो वर्ष पुराने मन्दिर बने हुए है जो गांव वालो व आम श्रदालुओं के आस्था का केन्द्र है। जहा रोज सैकडो गांव वाले व श्रदालु भगवान के दर्शन हेतु आते है और भगवान की सेवा पूजा करते है उक्त पहाडियो में ही भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर खसरा नम्बर 241 व 242 गै.मु. पहाड पर स्थित है उक्त मन्दिर की सेवा पूजा, सार संभाल व देखरेख का काम गांव वालो ने मूझे संभला रखा है जहा प्रतिदिन मेरे व मेरे परिवारवालो के द्वारा भगवान शिव व भगवान राम की सेवा पूजा व देखभाल की जाती है। तथा उक्त मन्दिर व पहाड के पास एक बस्ती बसी हुई है जिसमें लगभग 150-200 लोग निवास करते है। उक्त पहाडिया अरावली पर्वत माला की श्रेणी में आने के कारण उक्त पहाडियो पर होने वाली अवैध ब्लास्टिंग, खनन व पत्थर चोरी को रोकने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन. जी.टी.) न्यायालय भोपाल ने प्रकृति व अरावली पर्वत माला की सुरक्षा व बचाव के लिये पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश पारित कर रखे है। यह कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) न्यायालय भोपाल के द्वारा सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश के बावजूद मेरे गांव मे रहने वाले रामकिशन गुर्जर पुत्र तेजाराम गुर्जर, रमेश गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी घाटा व रमेश पंचोली पुत्र किशोर पंचोली निवासी दयारामपुरा के द्वारा एक गिरोह बनाकर उक्त पहाडियो पर खसरा न. 241 व 242 में स्थित भगवान शिव व भगवान राम के मन्दिर की तलहती में अवैध रूप से ब्लास्टिंग खनन करके पहाडियो से पत्थर चुराकर अवैध रूप से मरुत को लाभ व प्रकृति और सरकार को हानिकारित कर रहे है तथा सरकार की सम्पती को नुकसान कारित कर रहे है। इन लोगो के द्वारा दिन-रात एल.एन.टी., जे.सी.बी. व ट्रकों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है इन लोगो के द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग के कारण पहाडी पर स्थित सैकडो वर्षो पुराने भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर के कुण्ड, चबुतरे व मन्दिर की दिवारो में दरारे आ गई है जिसकी सिकायत मेरे द्वारा दिनांक 08.09.2023 को शाम के 5 बजे उक्त लोगो को करने पर रमेश गुर्जर ने मेरे साथ गालि-गलोच व हाथापाई करते हुए मारपीट की और मुझे ऐलानिया धमकिया देते हुये गंग की अगर हमारे काम के बीच आया तो हाथ-पेर तोड कर जान से मारकर इन पहाडियो में फेक दूंगा। उक्त लोगो के द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग खनन के कारण मन्दिर के निचे से पहाड खोखले हो गये तथा गहरे-गहरे गड्डे हो गये है। जब ये लोग अवैध ब्लास्टिंग करते है जिससे बहुत तेज धमाके के साथ पत्थर उछल कर बस्ती के

Deepak
Gangid

घरो व मन्दिर मे जाते है जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। ब्लास्टिंग के धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि आस-पास रहने वाले आम जनो को मानसिक प्रताडना होती है तथा अवैध खनन के कारण गांव वाले व श्रदालु मन्दिर में जाकर भगवान की सेवा पूजा करने में परेशानी हो रही है तथा मन्दिर में सेवा पूजा के लिए आये हुये लोगो को भी जान माल का खतरा बना रहता है। जिससे गांव वालो व श्रदालुओ की धार्मिक भावनाओ व अधिकारो का हनन हो रहा है। ग्राम घाटा,पो. बैनाडा स्थित अरावली पर्वत माला की पहाडियो मे हो रहे अवैध ब्लास्टिंग व खनन के बारे में मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार सिकायत की जा चुकी है। उक्त सभी व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के है जो इस संबंध में आये दिन मुझे व मेरे परिवारवालो को जान से मारने व देख लेने की धमकिया देते है। मुझे व मेरे परिवारवालो उक्त सभी लोगो से जान माल का खतरा बना हुआ है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवारवालो के साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पुलिस थाना कानोता को आदेशित कर मेरी रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रुकवाकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करे।

Deepak Sanghvi

दिनांक:-

प्रार्थी

दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र 31 वर्ष

जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा,पो.बैनाडा,

तह.बस्सी, जिला-जयपुर राजस्थान



सेवामें

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,

वृत्त बस्सी, जयपुर पूर्व।

विषय:- रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 31 वर्ष, जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा, पो. बैनाडा, तह. बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे गांव घाटा-बैनाडा में अरावली पर्वत माला की पहाडिया स्थित है उक्त पहाडियो पर हिन्दू धर्म के कई देवी-देवताओं व भगवान के सैकड़ों वर्ष पुराने मन्दिर बने हुए हैं जो गांव वालों व आम श्रद्धालुओं के आस्था का केन्द्र हैं। जहाँ रोज जो गांव वाले व श्रद्धालु भगवान के दर्शन हेतु आते हैं और भगवान की सेवा पूजा करते हैं उक्त पहाडियो में ही भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर खसरा नम्बर 241 व 242 गै.मु. पहाड पर स्थित है उक्त मन्दिर की सेवा पूजा, सार संभाल व देखरेख का काम गांव वालों ने मूझे संभाला रखा है जहाँ प्रतिदिन मेरे व मेरे परिवारवालों के द्वारा भगवान शिव व भगवान राम की सेवा पूजा व देखभाल की जाती है। तथा उक्त मन्दिर व पहाड के पास एक बस्ती बसी हुई है जिसमें लगभग 150-200 लोग निवास करते हैं। उक्त पहाडिया अरावली पर्वत माला की श्रेणी में आने के कारण उक्त पहाडियो पर होने वाली अवैध ब्लास्टिंग, खनन व पत्थर चोरी को रोकने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) न्यायालय भोपाल ने प्रकृति व अरावली पर्वत माला की सुरक्षा व बचाव के लिये सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश पारित कर रखे हैं। यह कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) न्यायालय भोपाल के द्वारा सम्पूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र के मोके की यथास्थिती के आदेश के बावजूद मेरे गांव में रहने वाले रामकिशन गुर्जर पुत्र तेजाराम गुर्जर, रमेश गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी घाटा व रमेश पंचोली पुत्र किशोर पंचोली निवासी दयारामपुरा के द्वारा एक गिरोह बनाकर उक्त पहाडियो पर खसरा न. 241 व 242 में स्थित भगवान शिव व भगवान राम के मन्दिर की हती में अवैध रूप से ब्लास्टिंग खनन करके पहाडियो से पत्थर चुराकर अवैध रूप से बेचकर स्वयं को लाभ व प्रकृति और सरकार को हानिकारित कर रहे हैं तथा सरकार की सम्पत्ती को नुकसान कारित कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा दिन-रात एल.एन.टी., जे.सी.बी. व ट्रकों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग के कारण पहाडी पर स्थित सैकड़ों वर्षों पुराने भगवान शिव व भगवान राम का मन्दिर के कुण्ड, चबुतरे व मन्दिर की दिवारों में दरारे आ गई हैं जिसकी सिकायत मेरे द्वारा दिनांक 08.09.2023 को शाम के 5 बजे उक्त लोगों को करने पर रमेश गुर्जर ने मेरे साथ ने-गलोच व हाथापाई करते हुए मारपीट की और मुझे ऐलानिया धमकिया देते हुये कहा की अगर हमारे काम के बीच आया तो हाथ-पैर तोड कर जान से मारकर इन पहाडियो में फेक दूंगा। उक्त लोगों के द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग खनन के कारण मन्दिर के निचे से पहाड खोखले हो गये तथा गहरे-गहरे गड्डे हो गये हैं। जब ये लोग

Deepak Jangid

28

अवेध ब्लास्टिंग करते हैं जिससे बहुत तेज धमाके के साथ पत्थर उछल कर बस्ती के घरों व मन्दिर में जाते हैं जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। ब्लास्टिंग के धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि आस-पास रहने वाले आम जनो को मानसिक प्रताड़ना होती है तथा अवेध खनन के कारण गांव वाले व श्रदालु मन्दिर में जाकर जान की सेवा पूजा करने में परेशानी हो रही है तथा मन्दिर में सेवा पूजा के लिए आये हुये लोगों को भी जान माल का खतरा बना रहता है। जिससे गांव वालों व श्रदालुओं की धार्मिक भावनाओं व अधिकारों का हनन हो रहा है। ग्राम घाटा, पो. बैनाडा स्थित अरावली पर्वत माला की पहाड़ियों में हो रहे अवेध ब्लास्टिंग व खनन के बारे में मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार सिकायत की जा चुकी है। उक्त सभी व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के हैं जो इस संबंध में आये दिन मुझे व मेरे परिवारवालों को जान से मारने व देख लेने की धमकियाँ देते हैं। मुझे व मेरे परिवारवालों उक्त सभी लोगों से जान माल का खतरा लगा हुआ है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवारवालों के साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पुलिस थाना कानोता को आदेशित कर मेरी रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करे।

Deepak Kumar


दिनांक:-

प्रार्थी

दीपक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र 31 वर्ष

जाति-खाती निवासी-ग्राम घाटा, पो. बैनाडा,

तह. बस्सी, जिला-



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

D.B. CIVIL WRIT PETITION (PIL) NO. _____/2023

Deepak Kumar Jangid

V/s

State of Rajasthan & Ors

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF DOCUMENTS

I, Deepak Kumar Jangid Son of Shri Mohan Lal Jangid, Aged about 31 years, Resident of Village Ghata and Post Bainada, Tehsil Bassi, District Jaipur, Rajasthan, do hereby take oath and state as under:-

1. That I am the petitioner in the above noted case and as such am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That the Annexure No.1 to 4 and 6 to 8 are true and correct Photostat copies of their originals and annexure No.5 are original photographs.

DATE:

PLACE:

DEPONENT

Deepak Jangid

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify on oath that the contents of my above affidavit from para No. 1 to 2 are true and correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed therein and no part of it is false. So help me God.

DATE:

PLACE:

DEPONENT

Deepak Jangid

Sanjay Bharti